संख्या-25/2024/144/001-23-9-2024-23-9002-001-36-2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 01 फरवरी,2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के 06 चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित विभिन्न तिथियों के पत्र) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 06 कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 2,77,63,000 (रुपये दो करोड़ सतहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- (धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता (मु0-1) लो0नि0 वि, लखनऊ	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	निर्माण लागत/ अनुरक्षण लागत /कुल स्वीकृत लागत / /प्राविधिक लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**
1	7266/CE-HQ1/RIDF27/AZM/2023-24, Dt. 04-01-2024	नि0ख0 आजमगढ	ठाटा दोयम से जयचन्दपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	167/2022/1448/23-9-2022-12 नाबार्ड-स0मा0-19 टीसी1-दिनांक-16-11-2022	96.11 8.77 104.88 104.88	8.68	96.20	5.21	90.99	**81.75**
2	7302/CE-HQ1/RIDF26 VR/LKO/2023-24, Dt. 08-01-2024	प्रा0ख0 खीरी	एन0एच0-730 ए के किमी-19 से सिमराजानीपुर मार्ग के किमी-1 से गोलियाघाट सम्पर्क मार्ग	**52/2021/122/23-9-2021-19नार्बाड(स0मा0)/2020-दिनांक-01-03-2021**	143.23 13.21 156.44 156.44	9.53	146.91	131.27	15.64	2.43
3	7455/CE-HQ1/RIDF28 VR/LKO/2023-24, Dt. 20-01-2024	प्रा0ख0 हरदोई	कोधावां माल मार्ग कि0मी0-7 से कल्हेपुर मार्ग कि0मी0-1 से आशापुर मझिया सम्पर्क मार्ग	42/2023/503 / 23-9-2023 /001-23-9002 (99)/1/2022, दिनांक 03-03-2023	191.73 17.73 209.46 209.46	1.05	208.41	155.08	53.33	**35.60**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4	7455/CE-HQ1/RIDF28VR/LKO/2023-24, Dt. 20-01-2024	प्रा0ख0 हरदोई	सण्डीला अतरौली भटपुर मार्ग के कि0मी0-9 से मनिकापुर मार्ग कि0मी0-2 से खुटेहना(गड़रियन खेड़ा) सम्पर्क मार्ग	42/2023/503/23-9-2023/001-23-9002(99)/1/2022 , दिनांक 03-03-2023	242.48 22.42 264.90 264.90	1.50	263.40	196.00	67.40	**44.98**
5	7412/CE-HQ1/RIDF26VR/prj/2023-24, Dt. 18-01-2024	नि0ख0-4 (कु0मे0) प्रयागराज	रेखीपुर सुकरपुर-मार्ग के किमी-7 से धूनूपुर बन्दी पट्टी मार्ग के किमी-1 से विक्रमपुर सम्पर्क मार्ग	**52/2021/122/23-9-2021-19नार्बाठ(स0मा0)/2020-दिनांक-01-03-2021**	118.69 10.84 129.53 129.53	22.94	106.59	42.64	63.95	53.11
6	7413/CE-HQ1/RIDF28VR/prj/2023-24, Dt. 18-01-2024	नि0ख0-4 (कु0मे0) प्रयागराज	बलीपुर से हैवतपटटी सम्पर्क मार्ग	45/2023/506-23-9-2023/001-23-9002(002)/22/2022-दिनांक-03-03-2023	84.93 7.77 92.70 92.70	20.54	72.16	4.63	67.53	**59.76**
			योग							**277.63**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,77,63,000 (रुपये दो करोड़ सतहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-58 **लेखा शीर्षक 5054043376400** नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हेतु सम्पर्क मार्गो/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना)**मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या:-25/2024/144(1)/001-23-9-2024-23-9002-001-36-2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।